शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 47 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 47 अंक-47 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 21-28 नवम्बर 2022 मूल्य पांच रूपए

जून में बन्द हुई जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति पर इतना समय क्यों चुप रहे जयराम

क्यों बन्द है जून से जीएसटी की प्रतिपूर्ति क्या कैग रिपोर्टों के खुलासे को नजरअन्दाज किया जा सकता है

गुलाब सिंह और रेणु चड्डा के ऑडियो और पवन काजल के पत्र का सच क्या है

शिमला/शैल। मतदान के बाद चुनाव की समीक्षाओं का दौर चल रहा है और भाजपा तथा कांग्रेस दोनों दल अपनी-अपनी सरकारें बनाने के दावे कर रहे हैं। गुजरात और दिल्ली एम.सी.डी. चुनावों के परिदृश्य में नेताओं के लिये यह दावे करना स्वभाविक और आवश्यक भी हो जाता है। ऐसे में किसी निष्पक्ष आकलन के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार के कामकाज को उसके सत्ता संभालने के पहले दिन से लेकर कार्यकाल के अन्तिम दिन तक पूरी निष्पक्षता के साथ नजर में रखा जाये। इसी के साथ यह भी आवश्यक हो जाता है कि

इस दौरान विपक्ष और मीडिया की सरकार को लेकर क्या और किस तरह की प्रतिक्रियाएं रही हैं। क्योंकि विपक्ष और मीडिया ही जनता की सूचनाओं के मुख्य स्रोत रहते हैं। जनता इन सूचनाओं और प्रतिक्रियाओं को अपने चारों और व्यवहारिकता में देखकर सबके बारे में अपना मन बनाती है। उसका यह व्यवहारिक अनुभव ही कम ज्यादा या औसत मतदान के रूप में सामने आता है और चुनावी आकलनों का आधार बनता है। इसमें जब केंद्र और राज्य ने एक ही पार्टी की सरकारें होना भी साथ रहता है तब यह आकलन दोनों के ही नेतृत्व का प्रतिफल बन जाता है। इस परिपेक्ष में हिमाचल के चुनाव का आकलन केन्द्र और राज्य दोनों ही सरकारों के आपस में रहे सहयोग का भी खुलासा हो जाता है। इसलिए विपक्ष और मीडिया की प्रतिक्रियाओं को भी संज्ञान में रखना आवश्यक हो जाता है। इस परिपेक्ष में जब जयराम सरकार और भाजपा का आकलन इन चुनावों के परिदृश्य में किया जाये तो यह पहला सवाल इसके डबल इंजन होने को लेकर उठता है। अभी मतदान के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की केन्द्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक हुई है। इस बैठक में मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त भी मुख्यमंत्री के साथ थे। इस बैठक में अन्य मुद्दों के साथ जीएसटी की प्रतिपूर्ति की बहाली का मुद्दा बड़ी प्रमुखता से उठाया गया। यह सामने आया कि केन्द्र सरकार ने जून माह से प्रदेश को जीएसटी की प्रतिपूर्ति पूरी तरह से बन्द कर दी है। जबकि जीएसटी एक्ट के तहत राज्यों का यह प्रतिपूर्ति पाना अधिकार है। यह प्रतिपूर्ति बंद किया राज्य को उसके अधिकार से वंचित रखना हो जाता है। इस प्रतिपूर्ति के तहत प्रदेश का करीब 4000 करोड़ मिलना है जो नहीं दिया जा रहा है।

सरकार को कर्ज लेकर अपना काम चलाना पड़ रहा है। जून में यह प्रतिपूर्ति बन्द हो जाने पर भी जयराम सरकार विधानसभा चुनाव के मतदान तक इस मुद्दे पर जुबान नहीं खोल पायी है। मीडिया भी अधिकांश में चुप रहा है। केवल शैल ने इस पर सवाल उठाये हैं। यहां तक कि विपक्ष भी चुप बैठा रहा है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक हो जाता है कि यदि डबल इंजन के इस तरह के सहयोग की जानकारी मतदाताओं को चुनाव के दौरान रहती तो इसका क्या प्रभाव पड़ता। जबकि डबल इंजन का कड़वा सच 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020 को आयी कैग रिपोर्ट में ही सामने आ चुका है। इनके

मुताबिक 2018-19 और 2019-20 में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिये केन्द्र से प्रदेश को कोई पैसा नहीं मिला है। जीएसटी की प्रतिपूर्ति भी तब से रुकती चली आयी है। शैल यह दस्तावेज अपने पाठकों के सामने रख चुका है। इसीलिए तो 69 राष्ट्रीय राजमार्ग आज तक सिद्धांत से आगे नहीं बढ़ पाये हैं। 2018 में ऐसे ही सहयोग के चलते सरकार 100 योजनाओं पर एक पैसा तक खर्च नहीं कर पायी है और 2019 में स्कूलों में बच्चों को वर्दियां नहीं मिल पायी है। इस तरह के व्यवहारिक सहयोग के चलते डबल इंजन की सरकार होने का चुनावी लाभ कितना मिला होगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। डबल इंजन के उन पक्षों पर जयराम, अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा इसलिये आज तक चुप चले आ रहे हैं। अब चुनावों के दौरान टिकट आवंटन के बाद जिस तरह की बगावत पार्टी के अन्दर देखने को मिली है उसी के परिणाम स्वरूप करीब दो दर्जन चुनाव क्षेत्रों में बागियों ने चुनाव लड़ा है। इनमें से कितने चुनाव जीतकर आ जायेंगे इसका सही आकलन पार्टी के विद्वान अभी तक नहीं लगा पाये हैं। लेकिन यह मुख्यमंत्री ने स्वयं माना है कि 12 से 15 बागी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिये बागियों से संपर्क साधने को लेकर शीर्ष नेतृत्व एक राय नहीं हो पाया है। लेकिन इस सबसे ज्यादा रोचक तो पार्टी नेता गुलाब सिंह ठाकुर का जोगिन्दर नगर से वायरल हुआ ऑडियो है। इस ऑडियो की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि चम्बा से वरिष्ठ पार्टी नेत्री रेणु चड्डा का ऑडियो सामने आ गया हालांकि उसने इसका बाद में खण्डन भी किया हैं। लेकिन इन ऑडियोज में जो चर्चाएं और आक्षेप उठाये गये हैं उन सब पर अन्त में पवन काजल के पत्र ने प्रमाणिकता की मोहर भी लगा दी है। पवन काजल ने अपने पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वीकार किया है कि यह पत्र उन्होंने जे.पी. नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नाम लिखा है तथा इसमें सही आरोप लगाये हैं। पत्र के वायरल होने पर उन्होंने हैरानी अवश्य जताई है। ऐसे ही आरोप प्रदेश के हर हिस्से में सामने आये हैं। इस चुनाव में भाजपा को अपने सिद्धांतों को अंगूठा दिखाना पड़ा है। परिवारवाद का आरोप अब केवल विपक्ष के लिये हैं और भाजपा पर लागू नहीं होता है। सिद्धांतों के इसी खोखले पन का परिणाम है कि प्रधानमन्त्री को हिमाचल में एक दर्जन तो गुजरात में पच्चास रैलियां करनी पड़ी हैं। और की महंगाई का जवाब प्रधानमन्त्री को मोबाइल डाटा सस्ता होने के रूप में देना पड़ रहा है। महंगाई और बेरोजगारी का दंश झेलते युवा को सस्ता डाटा राम मन्दिर तीन तलाक और 370 हटाने के नाम पर ज्यादा देर तक भटकाया नहीं जा सकता। भ्रष्टाचार पर अन्ना का आन्दोलन यदि दिल्ली में स्व. शीला दीक्षित की सरकार को शुन्य कर सकता है तो आज विनियोग के नाम पर सारे सार्वजनिक उपकरणों को एक-एक करके निजी क्षेत्र के हवाले करना भाजपा को शून्य पर

क्यों नहीं ला सकता है।

आज मतदान के बाद चुनावी परिणामों का स्वभाविक आकलन करते हुये क्या भाजपा के अन्दर की इस स्थिति को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिये? क्या आज विश्वविद्यालय के परिणामों में 80% छात्रों का फेल हो जाना सरकार की कोविड नीति और प्रबंधनो पर नये सिरे से विचार करने पर बाध्य नहीं करता है? क्या आकलन में कैग रिपोर्टों के खुलासों का संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिये? क्या इन सच्चाईयों पर मीडिया की चुप्पी के कारण ही उसे गोदी मीडिया की संज्ञा नहीं मिली है? यदि इस सबको एक साथ रखने के बाद कुछ लोगों को भाजपा के पक्ष में सब कुछ हरा ही दिखाई दे तो सही में सब कुछ हरा ही हो जायेगा यह कतई संभव नहीं है। इसलिये भाजपा की काठ की हांडी इस बार चढ़ने वाली नहीं है यह तय है।

राज्यपाल ने नॉर्थ ज़ोन इंटर ऑडिट बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इंदिरा गांधी खेल परिसर, शिमला में भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के तत्वावधान में आयोजित नॉर्थ जोन इंटर ऑडिट बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने आयोजकों को बधाई दी और सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि वे अपनी क्षमतानुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि आज विश्व स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ा है। वर्तमान में बच्चों एवं युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ी है जिससे जीवन में स्वस्थ जीवन शैली को प्राथमिकता मिल रही है।

उन्होंने कहा कि भारत को एक विश्व स्तरीय खेल शक्ति बनाने के लिए देश के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान और उनका पारदर्शी चयन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश में मौजूदा खेल अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है।

इससे पहले, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) चंदा एम. पंडित ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा कि शिमला स्थित भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के तीनों कार्यालयों में 21 से 27 नवम्बर 2022 तक लेखा सप्ताह मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह अंतर-विभागीय उत्तर क्षेत्र बैडमिंटन टूर्नामेंट भी सप्ताह भर चलने वाले समारोह का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कार्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमें इस टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं।

इस अवसर पर भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा अकादमी, के महानिदेशक मनीष कुमार, प्रधान महालेखाकार (अकाउंट्स एंड इनटाइटलमेंट), हिमाचल प्रदेश सुशील कुमार, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने निःक्षय मित्र बनकर टिक्कर ब्लॉक को लिया गोद

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2023 तक क्षय रोग मुक्त राज्य बनाने की दिशा में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने स्वयं आगे आकर सकारात्मक पहल की है। उन्होंने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत निःक्षय मित्र बनकर रोगियों को गोद लेने की पहल की है।

राज्यपाल ने शिमला जिले के रोहडू उपमण्डल के तहत टिक्कर ब्लॉक को गोद लिया है। इस ब्लॉक के तहत करीब 49 क्षय रोगियों की देखभाल का जिम्मा अब राज्यपाल ने लिया है।

उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए आगे आएं और निःक्षय मित्र बनकर रोगियों को गोद लेकर प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने में सहयोग करें।

हर व्यक्ति को टीबी उन्मूलन अभियान से जोड़ने की आवश्यकता: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि प्रदेश को क्षय रोग मुक्त बनाने के अभियान में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि वर्ष 2023 तक इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त कर हिमाचल देश का पहला आदर्श राज्य बनकर उभर सकता है, जो हम सभी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी।

राज्यपाल स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, शिमला में हिमाचल प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों और खण्ड चिकित्सा अधिकारियों के लिए आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 9 सितंबर, 2022 को क्षय मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया था और वर्ष 2025 तक देश को क्षय मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर क्षय मुक्त भारत अभियान सराहनीय तरीके से चलाया जा रहा है। उन्होंने विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के निरन्तर प्रयासों के फलस्वरूप हिमाचल वर्ष 2023 तक क्षय मुक्त राज्य का लक्ष्य हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण के मामले में देश में हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है।

राज्यपाल ने कहा कि यह केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को आगे आने की आवश्यकता है। उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों में इस विषय पर बैठकें की हैं। उन्होंने मरीजों को व्यक्तिगत रूप से अपनाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि मरीजों को व्यक्तिगत रूप से अपनाने से उनके स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार होता है और उन्हें ज्यादा मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि उपचार के दौरान सभी रोगियों को निःक्षय मित्र के माध्यम से सामुदायिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट, व्यक्तिगत, राजनेता, गैर सरकारी संगठन, नागरिक, समाज और अन्य लोग निःक्षय मित्र की भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और क्षेत्रीय अधिकारियों को इसकी बारीकी से निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि पंजीकरण के तुरंत बाद सभी टीबी रोगियों को सामुदायिक सहायता प्राप्त हो।

उन्होंने कहा कि वह स्वयं इस अभियान में शामिल हैं और रेडक्रॉस जैसी संस्थाओं को जोड़कर इस कार्य में तेजी लाई जा सकती है। उन्होंने प्रधानमंत्री क्षय मुक्त भारत अभियान के माध्यम से मरीजों की पहचान करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि क्षय रोगियों को अपनाने की जिम्मेदारी किसी एक विशेष वर्ग की नहीं बल्कि यह एक सामाजिक जिम्मेदारी है। उन्होंने इस दिशा में जागरूकता बढ़ाने पर भी बल दिया। राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम (एनएलसीपी) की समीक्षा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य कुष्ठ रोग के मामलों का प्रारंभिक चरण में पता लगाना और रोगियों को अपंगता से बचाने के लिए उन्हें शीघ्र निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि प्रारम्भिक चरण में रोग की जांच से सामुदायिक स्तर तक बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि उपचार का कोर्स पूरा कर लिया जाए तो कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक हो सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में 141 कुष्ठ रोगियों का इलाज चल रहा है और ये मरीज आसानी से ठीक हो सकते हैं।

इससे पहले, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक हेम राज बैरवा ने राज्यपाल का स्वागत किया और राज्य में प्रधानमंत्री क्षय मुक्त भारत अभियान के तहत की जा रही विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने राज्यपाल को विभागीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, डॉ. गोपाल बेरी ने अभियान का विवरण प्रस्तुत किया।

राज्यपाल ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों व वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों से भी चर्चा की। उन्होंने जिला स्तर पर किए जा रहे कार्यो की जानकारी दी और अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा, राज्य स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र की प्रधानाचार्य डॉ. हरशरण कौर और स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा

अन्य सहयोगी

राजेश ठाकुर

अंजना

राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में हुआ वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन

शिमला/शैल। राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसका शुभारंभ जिला कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक डॉ खुशहाल चंद शर्मा ने किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. राजेश शर्मा ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने छात्रों को खेलों का महत्व बताते सर्वांगीण विकास के लिए अति महत्वपूर्ण बताया। इसके साथ ही तन्मयता से जीवन के हर क्षेत्र में आगे रहने के लिए छात्रों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने ध्वजारोहण करते हुए एथलेटिक मीट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर महाविद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें 1500 मीटर (पुरूष वर्ग) फाइनल में राकेश कुमार, समीर, अमन कुमार ने क्रमशः प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया । पंद्रह सौ मीटर फाइनल में भोली बीए द्वितीय वर्ष ने प्रथम स्थान, मीना ठाकुर बीए. प्रथम वर्ष द्वितीय स्थान एवं शबनम धीमान बीए द्वितीय वर्ष ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 800 मीटर (पुरूष) फाइनल में अभिषेक कुमार, नीरज ,रोहित कुमार ने प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया ।800 मीटर फाइनल में महक, मीना, शबनम ने क्रमशः प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया । शॉट पुट में नेहा ठाकुर, काजल मीणा ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही शॉट पुट (पुरूष) में कने, पुनीत और मनीष ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान हासिल किया। लॉन्ग जंप में महक ने प्रथम, कृतिका ने द्वितीय और मीना ठाकुर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया ।100 मीटर (पुरूष) मे अकृत, अवंतिक एवं अपूर्व ने पहला, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया। हाई जंप (महिला वर्ग) में महक, कृतिका और चांदनी ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया। हाई जंप (पुरुष वर्ग) में साहिल कौशल ने प्रथम, सुशांत राणा ने द्वितीय और अभय शर्मा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में 200 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, रिले रेस और रस्साकशी का भी आयोजन किया गया। महिला वर्ग में महक को एवं पुरुष वर्ग में अकृत को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि एनपी गुलेरिया जिला युवा एवं खेल अधिकारी कांगड़ा ने विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए।

राज्य नागरिक सेवाएं सम्मान व प्रेरणा स्त्रोत और हिमाचल गौरव पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित

शिमला/शैल। राज्य नागरिक सेवाएं सम्मान व प्रेरणा स्त्रोत और हिमाचल गौरव पुरस्कार-2023 के लिए हिमाचल प्रदेश, सामान्य प्रशासन विभाग ने अनुशंसा और आवेदन आमंत्रित किए हैं। सहायक आयुक्त मनीष चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि इन राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए 31 दिसंबर 2022 तक आवेदन अथवा अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जा सकती है ।

गौरतलब है कि हर वर्ष हिमाचल दिवस के अवसर पर (15 अप्रैल) उत्कृष्ट कार्यो और सराहनीय सेवाओं के लिए राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के दौरान ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार विभिन्न विभागीय और अन्य प्रणालियों के माध्यम से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

मनीष चौधरी ने बताया कि आवेदन या नामांकन अथवा अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर भेजनी अनिवार्य होगी ।

इसके साथ उपलब्धियों, सेवाओं के संक्षिप्त विवरण को दो पृष्ठ से कम हिंदी भाषा में सॉफ्ट कॉपी तैयार कर सामान्य प्रशासन विभाग को ईमेल के माध्यम से gadbr2-hp@nic.in पर प्रेषित करनी होगी।

आवेदन, नामांकन अथवा अनुशंसा के लिए निर्धारित प्रपत्र तथा आवश्यक जानकारी हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट www.himachal.nic.in/gad पर लॉग इन किया जा सकता है।

शीतकालीन तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित

शिमला/शैल। मुख्य सचिव आर.डी. धीमान ने राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन सैल द्वारा उपायुक्तों और सम्बन्धित विभागों के साथ शीतकालीन तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्बाध बिजली और पानी की आपूर्ति, रोजमर्रा उपयोग की वस्तुओं की उपलब्धता और विशेष रूप से बर्फबारी वाले क्षेत्रों के लिए आवश्यक वस्तुओं का भंडारण सुनिश्चित करने के लिए समन्वित कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सम्पर्क सुविधा, अस्पताल, बिजली, जलापूर्ति और शिक्षण संस्थान प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने प्रदेश में संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करने और बर्फ हटाने के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान कर पर्याप्त मशीनरी तैनात करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर सड़कों की आवश्यक मरम्मत करने के अलावा बुलडोजर और स्नो कटर पहले से ही तैयार रखे जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि बर्फ हटाने के उपकरण और स्नो ब्लोअर की खरीद की प्रक्रिया समय पर पूरी की जानी चाहिए।

उन्होंने सभी जिला प्रशासन को शीत लहर के प्रभाव से निपटने के लिए समुचित कार्रवाई करने के निर्देश दिये। उन्होंने विशेष तौर पर उन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने को कहा, जहां कोहरे के कारण आम जन जीवन, कृषि और बागवानी फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को अपने क्षेत्राधिकार में वायु सेना, सेना इकाइयों, आईटीबीपी और पैरा मिलिट्री संगठनों के साथ उनके साथ संपर्क बनाए रखने के भी निर्देश दिये ताकि किसी भी आपात स्थिति में शीघ्र समन्वित ऑपरेशन चलाए जा सकें।

आर.डी. धीमान ने कहा कि ट्रैक्र्स के साथ जाने वाले प्रशिक्षित गाइडों द्वारा दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आवाजाही की उचित निगरानी प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए।

उन्होंने हिमाचल पथ परिवहन निगम को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, शहरी विकास, दूरसंचार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं अन्य विभागों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निदेशक एवं विशेष सचिव राजस्व-आपदा प्रबंधन सुदेश मोक्टा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

आत्मनिर्भर बनें पंचायतें, विकास में हो सबकी भागीदारी:डॉ.निपुण जिंदल

शिमला/शैल। ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर बनें तथा ग्रामीण विकास में सबकी भागीदारी हो। गांवों में समग्र विकास का ऐसा मॉडल विकसित करने में पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों की बड़ी भूमिका है। उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने चिन्मय ग्रामीण विकास संस्था (सी.ओ.आर.डी), तपोवन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया धर्मशाला द्वारा संयुक्त रूप से पंचायती राज संस्थाओं में पुरुषों की भूमिका और लैंगिक संवेदीकरण विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में यह विचार व्यक्त किए।

चिन्मय आश्रम तपोवन में आयोजित इस कार्यशाला में धर्मशाला उपमंडल की विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों और लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त गंधर्वा राठौर और चिन्मय ग्रामीण विकास संस्था की निदेशक डॉ. क्षमा मैत्रेय भी उपस्थित रहीं।

डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि मजबूत ग्राम पंचायतें सुदृढ़ भारत का आधार हैं। पंचायतों की मजबूती उनके आत्मनिर्भर होने में है, इसके लिए आवश्यक है कि गांवों में इस तरह के कार्य हों, जिससे पंचायत के लिए आमदनी के माध्यम सृजित हों। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि गांवों के विकास में समाज के हर वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित करें।

उन्होंने लोगों से स्वयं सहायता समूहों के गठन को बढ़ावा देकर स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए स्वावलंबन की ओर बढने का आह्वान किया। उन्होंने गांवों में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व संवर्धन के लिए भी मिलकर काम करने को कहा। साथ ही युवाओं को नशे से बचाने के लिए खेलकूद गतिविधियों के आयोजन और गांवों में पढ़ने-लिखने का वातावरण निर्मित करने पर जोर दिया।

उपायुक्त ने लैंगिक संवेदीकरण को लेकर कहा कि भारतीय संस्कृति ने हमेशा महिला और पुरुष को एक दूसरे का पूरक माना है। साथ चलने, साथ बढ़ने और लैंगिक भेद के बिना सबके लिए समान अवसरों के निर्माण के लिए इस सनातन विचार को आत्मसात करना जरूरी है।

इसके उपरांत उपायुक्त ने चिन्मय ग्रामीण विकास संस्था के माध्मय ये सेरेब्रल पाल्सी नामक बीमारी से जूझ रहे बच्चों के लिए कांगड़ा जिला प्रशासन द्वारा तैयार विशेष कुर्सियां भी वितरित कीं। सेरेब्रल पाल्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो बच्चों की शारीरिक गति, चलने-फिरने की क्षमता को प्रभावित करता है।

राष्ट्रीय लोक अदालत राज्य में उत्सव की भावना से मनाई गई

शिमला/शैल। न्यायमूर्ति अमजद ए. सईद, मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षण तथा न्यायमूर्ति सबीना, न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में प्री-लिटिगेशन और पोस्ट-लिटिगेशन मामलों के लिए हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में 27 नवंबर, 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस विशेष ऑनलाइन लोक अदालत के दौरान आम जनता को कंपाउंडिंग शुल्क/जुर्माने के ऑनलाइन भुगतान के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे वे कंपाउंडिंग अथॉरिटी या कोर्ट के समक्ष उपस्थिति हुये बिना, कंपाउंडिंग शुल्क/जुर्माने का भुगतान करके अपने मामलों को घर पर ही निपटा सकेंगे और आम जनता के समय और पैसे की बचत होगी।

हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग और परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर के प्री-लिटिगेशन चरण में एम.वी. चालान और छोटे मामलों की अधिकतम पहचान और प्रभावी निपटान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इन विभागों ने इस विशेष ऑनलाइन लोक अदालत के दौरान बेहतर समन्वय और सफल आयोजन के लिए अपने नोडल और कंपाउंडिंग अधिकारियों को अधिसूचित किया है।

इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे राज्य में उत्सव की भावना से मनाई गई तथा सभी 133 लोक अदालत बेंचों में वादी जनता ने भारी संख्या मे उपस्थिती दर्ज कारवाई।

इस राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय मे वादी जनता को संदेश, जिंगल और आईईसी सामग्री के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूक किया गया।

एम.वी. चालान प्रकरणों के लिए विशेष ऑनलाइन लोक अदालत में 11,629 प्रकरणों का ऑनलाइन निपटारा किया गया तथा रु. 1,16,89,200/- की राशि शुल्क के रूप मे एकत्रित की गई। इसके अतिरिक्त, 1,06,376 मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटान के लिए विभिन्न बेंचों के समक्ष उठाए गए, जिनमें लगभग 47,472 मामलों का निपटारा किया गया और रू. 75,56,73,919/- की राशि वसूल की गई।

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में रिकॉर्ड संख्या में मुकद्दमों का निपटारा किया गया। भविष्य में भी एम.वी. चालान एवं अन्य मामलों के निपटारे हेतु इसी तरह आनलाइन माध्यम से विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

उत्कृष्ट युवा मंडल पुरस्कार के लिए नेहरू युवा केंद्र शिमला ने मांगे आवेदन

शिमला/शैल। नेहरू युवा केंद्र शिमला द्वारा उत्कृष्ट युवा मंडल युवा मंडल पुरस्कार के लिए पिछले वित्तीय वर्ष की गतिविधियों के ऊपर युवा मंडलों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके लिए कोई भी पंजीकृत युवा मण्डल जिसने वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक युवा मण्डल द्वारा विभिन्न सामाजिक, खेलकूद, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण, पोषण माह, स्वास्थ्य एवं स्वरोजगार इत्यादि संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया हो वो इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 08 दिसंबर 2022 रहेगी। आवेदनों को जिला स्तरीय समिति द्वारा जांचने के बाद सबसे अच्छा कार्य करने वाले युवा मण्डल का चयन किया जाता है।

आवेदन प्रपत्र नेहरू युवा केंद्र शिमला के जिला कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। जो युवा मण्डल जिला मे प्रथम स्थान प्राप्त करता है उसे 25000 रुपए की राशि पुरस्कार मे दी जाएगी एवं उसे राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए भी नामित किया जाएगा। राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले युवा मण्डल को 75000, द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर 50000, तृतीय स्थान प्राप्त करने पर 25000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।

नेहरू युवा केंद्र, शिमला की जिला युवा अधिकारी मनीषा शर्मा ने पीआईबी को बताया कि राज्य स्तर पर प्रथम आने वाले युवा मण्डल को राष्ट्रीय स्तर के लिए नामित किया जाएगा जिसमे सभी राज्यों से प्रथम आने वाले युवा मण्डल चयनित होंगे। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार 3,00,000/-, द्वितीय पुरस्कार 1,00,000/- एवं तृतीय पुरस्कार 50,000/- रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।

यह सारे पुरस्कार आपके जिला स्तर पर किए गए आवेदन के साथ कार्यक्रम की रिपोर्ट, संबंधित विभागों के प्रशंसा पत्र, सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया पर सक्रियता, कार्यक्रम के तिथि आधारित फोटोग्राफ, क्लब के बैनर के साथ की गयी गतिविधियां, एवं क्लब का लेखा जोखा की रिपोर्ट लगानी अनिवार्य होती है। युवा मण्डल के कार्यक्रमों की रिपोर्ट को आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करके नेहरू युवा केंद्र शिमला के जिला कार्यालय में 08 दिसंबर 2022 तक अवश्य जमा करवायें।

देश का पहला वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल सुधार गृह धर्मशाला में शुरू

शिमला/शैल। देश में सबसे पहले वेस्ट अंडर अरेस्ट (वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल) लाला लाजपत राय जिला सुधार गृह, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कारागार की एडीजीपी सतवंत अटवाल और कारागार एवं सुधार गृह के उपाधीक्षक विकास भटनागर की उपस्थिति में हुआ। इस योजना का मुख्य लक्ष्य कारागार के बंदियों व् कर्मचारियों को अपशिष्ट प्रबन्धन व् निष्पादन के बारे में शिक्षित व् जागरूक करना है और अपशिष्ट को अपसाइक्लिंग कर आय के साधन के रूप में विकसित करना है। जिसके लिए कारागार विभाग वेस्ट वॉरियर्स गैर-सरकारी संस्था के साथ मिलकर ये कार्यक्रम शुरू कर रहा है। वेस्ट वॉरियर्स ने मॉडल जेल कार्यक्रम के साथ-साथ उद्यमी कार्यक्रम भी शुरू किया। जहां जेल के अंदर उत्पन्न होने वाले सभी कचरे को खाद या अपसाइक्लिंग उत्पादों में परिवर्तित किया जाएगा, और सभी आय हिमकारा की ओर जाएगी, जो एक विभागीय सामाजिक उद्यम है जो फर्नीचर और बेकरी उत्पाद बनाता है और एक रेस्तरां चलाता है।

पूरे भारत में पहुंचने के सपने के साथ, सितंबर 2012 में वेस्ट वॉरियर्स का गठन किया गया था और हिमालयी परिदृश्य में कचरे के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए यहां है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आठ अन्य स्थानों पर विभिन्न रणनीतिक और रचनात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से, वेस्ट वॉरियर्स ने खुद को हिमालय में समुदाय के नेतृत्व वाले ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अग्रणी के रूप में स्थापित किया है। 22 नवंबर 2022 को वेस्ट वॉरियर्स ने देश के पहले अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल का उद्घाटन किया, जो एक मॉडल जेल में होगा। वेस्ट अंडर अरेस्ट मॉडल को लाला लाजपत राय सुधार गृह, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया।

कार्यक्रम अपशिष्ट प्रबंधन प्रशिक्षण के माध्यम से कैदियों के बीच जागरूकता का समर्थन और प्रसार भी करता है और कैदियों को अपशिष्ट क्षेत्र में और अधिक खोज करने के लिए सशक्त बनाता है। जो भविष्य में आजीविका का अवसर बन सकता है। यह अनूठा और आवश्यक मॉडल दूसरों को प्रेरित करेगा और पूरे देश में कार्यान्वयन के लिए एक मॉडल बन सकता है। सतवंत अटवाल, एडीजीपी कारागार एवम सुधारात्मक सेवायें, शिमला, हिमाचल प्रदेश ने ये भी आश्वासन दिया है कि ये पहल जल्द हि एक बड़ा रूप लेगी तथा इसे हिमाचल प्रदेश की अन्य सभी जेलों में भी शुरू किया जायेगा।

दुनिया के सबसे बड़े 7 सत्य: काम के बिना धन, अंतरात्मा के बिना सुख, मानवता के बिना विज्ञान, चरित्र के बिना ज्ञान, सिद्धांत के बिना राजनीति, नैतिकता के बिना व्यापार, त्याग के बिना पूजा। .....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

क्यों उठ रहे हैं चुनाव आयोग पर सवाल

हिमाचल और गुजरात के चुनाव परिणाम जब एक ही दिन घोषित हो सकते हैं तो फिर इन चुनावों की घोषणा भी एक ही साथ क्यों नहीं हो सकती थी? यह सवाल कुछ हलकों में प्रमुखता से उभरा है लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया है। पोस्टल मतदान मतगणना के शुरू होने तक आ सकता है और इसमें यह आरोप लगने शुरू हो गये हैं कि पोस्टल मतदान के पात्र सभी लोगों को पर्याप्त समय पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गयी है। पोस्टल मतदान के लिये यह व्यवस्था नहीं हो पायी है कि यह मतदान भी जरनल मतदान के दिन ही संभव हो पाये। मतदान के दिन ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के कई जगह सुचारू रूप से काम न कर पाने की शिकायतें भी बहुत जगहों से आयी हैं। ईवीएम की बजाये पुरानी मतपत्र व्यवस्था से ही मतदान करवाने की मांग लम्बे अरसे से उठती आ रही है। जब ईवीएम के साथ ही वीवीपैट मतदान का लिखित रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है तो ईवीएम के परिणाम का मिलान वीवीपैट की पर्ची से क्यों नहीं करवाया जा सकता? इसमें यदि चुनाव परिणाम घोषित करने में एक या दो दिन का समय ज्यादा लग जाता है तो इसमें किसी को भी क्या आपत्ति हो सकती हैं? एक लम्बे अरसे से ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठते आ रहे हैं जिन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्नीस लाख ईवीएम मशीनें चोरी हो जाने का मामला आज तक लंबित चला रहा है। चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना पर तुरन्त प्रभाव से आपराधिक मामला दर्ज किये जाने का प्रावधान अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आज की चुनाव व्यवस्था को लेकर उठाए जा सकते हैं। हर चुनाव के समय यह सवाल उठने शुरू हो गए हैं।

चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के सांगठनिक चुनाव सुनिश्चित करवा रहा है। चुनाव उम्मीदवारों से चुनाव खर्च का हिसाब तलब करता है। क्योंकि उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा तय है। ऐसे में यह सवाल क्यों नहीं उठना चाहिये कि यही खर्च की सीमा राजनीतिक दलों के लिए भी क्यों न हो। क्योंकि जब राजनीतिक दल इस सीमा से बाहर रह जाते हैं तब सारा चुनाव ही धनबल का नंगा प्रदर्शन हो कर रहे जाता है। राजनीतिक दल यह चुनाव खर्च दल के सदस्यों के सदस्यता शुल्क या उनके चन्दे से नहीं जुटाते हैं। बल्कि यह धन इन दलों के पास कारपोरेट घरानों से आता है। किस कारपोरेट घराने ने किस दल को कितना धन चुनावी चन्दे के रूप में दिया है इसकी कोई जानकारी सार्वजनिक रूप से नहीं आ पायी है। क्योंकि इसके चन्दे के लिये इलैक्शन बॉण्डज़ जारी किये जाते हैं। यह चुनावी बॉण्डज़ किस कारपोरेट घराने ने कितने खरीदे और किस दल को दिये इसकी जानकारी केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई को ही रहती है। इन चुनावी बॉण्डज को लेकर जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में आया था तब इसमें चुनाव आयोग की भूमिका बहुत ही निराशाजनक रही है। जबकि इस धन की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहनी चाहिये थी ताकि जनता को यह पता चल पाता कि किस घराने ने किस दल को कितना पैसा दिया है। क्योंकि दल सरकार बनने पर इन्हीं घरानों के पक्ष में नीतियां बनाते हैं आम आदमी इस पूरे सिस्टम में ''दूध से मक्खी'' की तरह बाहर निकल जाता है।

यह चर्चा और सवाल इस समय इसलिए प्रसांगिक हो जाते हैं क्योंकि इस समय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ में चुनाव आयोग को लेकर चर्चा चल रही है। यह सवाल पूरी बेबाकी से सामने आ गया है कि जिस संस्था पर चुनावों और उनसे जुड़ी हर प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हैं उसके अपने ही गठन की प्रक्रिया में निष्पक्षता को लेकर सवाल उठने लगे पड़े हैं। चुनाव आयुक्त अरुण कुमार गोयल की नियुक्ति को लेकर संविधान पीठ ने जो सवाल उठाये हैं वह आने वाले दिनों में देश के हर बच्चे की जुबान पर होंगे यह तय है। क्योंकि यह देश के भविष्य से जुड़े सवाल हैं। अब वह समय आ गया है कि जब चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों के लिए एक प्रक्रिया तय हो जानी चाहिये जिसमें प्रधानमन्त्री के साथ नेता प्रतिपक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पूरी भागीदारी रहनी चाहिये। इसके लिये केवल सरकारी सेवाओं में बैठे बड़े अधिकारियों की ही पात्रता नहीं रहनी चाहिए बल्कि अन्य पक्षों से जुड़े विद्वानों को भी अधिमान दिया जाना चाहिये। आज चुनावों को धनबल और बाहुबल से मुक्ति दिलाना पहली जिम्मेदारी होनी चाहिये।

भारत और ईरान के हिजाब आन्दोलन के फर्क को समझिए

गौतम चौधरी

अभी हाल ही ईरान में कथित इस्लामिक रिवाज, हिजाब को लेकर एक बड़ा आन्दोलन देखने को मिला। इस आन्दोलन में ईरान की अधिकतर मुस्लिम महिलाओं ने हिस्सा लिया और सरकार के सांस्कृतिक पुलिसिंग के खिलाफ मोर्चा खोला। मुस्लिम महिलाओं द्वारा खड़े किए गए इस आन्दोलन ने पूरी दुनिया का ध्यान आकृष्ट किया। ईरान की सांस्कृतिक पुलिस हिरासत में एक 22 वर्षीय लड़की, महसा अमिनी की मौत के बाद ये विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे। ईरान के इस हिजाब विरोधी आन्दोलन से महीनों पहले, भारतीय राज्य कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज में प्रवेश से इसलिए रोक दिया गया था कि उन लड़कियों ने कॉलेज के परिधान में परिवर्तन कर हिजाब पहन रखा था। दरअसल, कॉलेज ड्रेस कोड से संबंधित एक आदेश राज्य सरकार ने ही जारी की गयी थी और उस आदेश के आलोक में कॉलेज प्रबंधन ने ऐसा किया था। इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम लड़कियों ने आन्दोलन खड़ा किया। हालांकि यह आन्दोलन ईरान की तरह व्यापक नहीं था। आन्दोलनकारियों ने राज्य के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कर रखी है। मामला लंबित है। फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों में मुस्लिम महिलाओं के सार्वजनिक रूप से हिजाब के मुद्दे को लेकर हमेशा समस्या खड़ी होती रही है। इसे फ्रांस की संस्कृति के खिलाफ भी माना जाता रहा है। इस विषय ने हमेशा हिजाब की प्रामाणिकता तथा महिलाओं की स्वतंत्रता में बहस उत्पन्न होती रही है। इसे कभी महिलाओं की स्वतंत्रता में कटौती के रूप में देखा जाता है, तो कभी महिलाओं को अपने शरीर पर नियंत्रण रखने के लिए समानता और शिक्षित करने के लिए एक मुक्ति आंदोलन के हिस्से के रूप में। हालांकि, इस प्रकार के बहस में हम यह भूल जाते हैं कि महिलाएं क्या करेगी, या क्या पहनेगी, यह कोई दूसरा तय क्यों करेगा? महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता चुनने का पूरा हक है। उनके उपर बलपूर्वक कुछ भी नहीं थोपा जा सकता है। सांस्कृतिक नैतिकता की जद में आखिर महिलाओं को ही क्यों रखा जाता है? लोगों को नागरिकों के रूप में बाध्य करने वाले संविधान और कानून केवल स्वतंत्रता, अस्तित्व और संबद्ध स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। ऐसी ही एक आवश्यक स्वतंत्रता असहमति और व्यक्तिगत अधिकारों के लिए लड़ने का अधिकार है। ऐसे देशों में जहां नागरिक स्वतंत्रता को स्पष्ट नहीं किया गया है, वहा लोग लोकतंत्र में रहने वाले लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली स्वतंत्रता के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं।

मुद्दा ईरान और भारत में मुस्लिम महिलाओं द्वारा अधिकारों के लिए लड़ाई की तुलना का है। ईरान की शासन प्रणाली कट्टर इस्लामिक है। वहां सरिया कानून लागू है। इस प्रकार के कानून में नागरिक स्वतंत्रता का कहीं कोई स्थान ही नहीं है। इस्लाम का धार्मिक स्वरूप चाहे जो हो लेकिन इसका राजनीतिक स्वरूप बेहद अधिनायकवादी और मध्ययूगीन है। इसलिए वहां लोगों को स्वतंत्रता और अधिकार, विशेष रूप से असहमति का अधिकार प्राप्त नहीं हैं। ईरान में आप सत्ता से असहमति नहीं रख सकते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो सत्ता के द्वारा आपकी हत्या तक की जा सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि कानून सामान्य आबादी पर आचरण के एक शीर्ष-डाउन मॉडल को लागू करने में दमनात्मक और आक्रामक है। यही नहीं ईरान में अजरबैजानियों, कुर्दों, माजंदरानियों और तुर्कमानों आदि जैसी अल्पसंख्यक जातियों का सत्ता में कोई हस्तक्षेप नहीं है। बता दें कि ये तमाम जातियां इस्लाम में ही विश्वास करती है लेकिन ईरान में इन्हें गैर इस्लामिक माना जाता है।

ईरान के हिजाब विरोधी तात्कालिक आन्दोलन का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया गया। इसके कारण महिलाओं को क्रूर इस्लामिक शासन का घोर दमन सहना पड़ा। कई महिलाएं मारी गयी और हजारों की संख्या में घायल हुई। इसके अलावा, भ्रष्टाचार, राजनीतिक दमन और आर्थिक कुप्रबंधन के मुद्दे जनता में असंतोष के सबसे लबे समय तक चलने वाले मुद्दे रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों के कारण कारवाई हुई, सैकड़ों लोगों को कारावास हुई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस आन्दोलन में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई। इस प्रकार की व्यवस्था में न्याय की कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

भारतीय मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहां चूकि एक मजबूत न्यायिक प्रणाली है और वह सत्ता व शासन को भी आईना दिखाता रहा है। यहां सत्ता से असहमति के लिए व्यापक गुंजाइश है और लोगों को सरकार के फैसलों से असहमत होने और विरोध के माध्यम से अपना असंतोष दर्ज कराने का भी अधिकार है। किसानों का विरोध, सीएए-एनआरसी का विरोध और हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ विरोध व्यवस्था की मजबूती के उदाहरण हैं। मुस्लिम महिलाओं के नेतृत्व में विरोध और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका की संख्या यह बताती है कि भारतीय महिलाओं पर किसी भी तरह के आदेश थोपने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में हिजाब के मुद्दे पर विचार-विमर्श कर रहा है और निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण को लेकर एक उचित निर्णय देगा। इस मामले में न्यायाधीशों में से एक ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के दायरे में आता है और किसी भी तरह का हस्तक्षेप शिक्षा के अधिकार जैसे बुनियादी अधिकारों पर लागू नहीं होना चाहिए।

जहां एक ओर ईरान जैसे इस्लामिक देश में इस्लामिक सत्ता द्वारा नागरिक अधिकारों का दमन किया जा रहा है, वहीं भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में महिला के प्रति बेहद संवेदनशीलता दिखाई जा रही है। ईरान की मुस्लिम महिलाएं हिजाब नहीं पहने के लिए आन्दोलन करती है तो उस पर गालिया बरसाई जा रही है लेकिन भारत में हिजाब समर्थित आंदोलन को सिरे से खारिज करने का अधिकार किसी को नहीं है। भारत की न्याय प्रणाली इस पर भी विचार करने की अपनी बाध्यता प्रदर्शित करता है। यह भारत के शासन तंत्र की न्याय प्रणाली का बेहद सकारात्मक और उदात्त नैतिक पक्ष है। इसलिए जब तक भारत का संविधान अक्षुण्ण है और न्याय प्रणाली दुरुस्त है तब तक इस देश का हर नागरिक सुरक्षित है। अत: हम सब को संविधान की रक्षा करनी चाहिए और तभी संविधान हमारी सुरक्षा कर पाएगा।

आधार को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार करने से पहले उसे जांचें- यूआईडीएआई

शिमला। किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार को भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार करने से पहले संस्थाओं को आधार को सत्यापित करना चाहिए।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का कहना है कि आधार धारक की सहमति के बाद आधार संख्या का सत्यापन आधार के किसी भी रूप (आधार पत्र, ई-आधार, आधार पीवीसी कार्ड और एम-आधार) की वास्तविकता स्थापित करने के लिए सही कदम है।

यह गलत इरादों वाले और असामाजिक तत्वों को किसी भी संभावित दुरुपयोग में शामिल होने से रोकता है। यह यूसेज हाइजीन को भी बढ़ावा देता है और यूआईडीएआई के इस रुख पर जोर देता है कि कोई भी 12 अंकों की संख्या आधार नहीं है। आधार दस्तावेजों से छेड़छाड़ का ऑफ़लाइन सत्यापन द्वारा पता लगाया जा सकता है और छेड़छाड़ एक दंडनीय अपराध है और आधार अधिनियम की धारा 35 के तहत दंड भी दिया जा सकता है।

यूआईडीएआई ने उपयोग से पहले सत्यापन की आवश्यकता पर जोर देकर राज्य सरकारों से अनुरोध किया है और राज्यों से आग्रह किया है कि वे आवश्यक दिशा-निर्देश दें ताकि जब भी आधार को पहचान के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो निवासी का प्रमाणीकरण /सत्यापन संबंधित इकाई द्वारा आधार का उपयोग करके किया जाए।

यूआईडीएआई ने अनुरोध करने वाली संस्थाओं, प्रमाणीकरण / सत्यापन करने के लिए अधिकृत, और अन्य संस्थाओं को सत्यापन की आवश्यकता पर बल देते हुए और प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए खास सर्कुलर भी जारी किया है।

किसी भी आधार को एमआधार ऐप, या आधार क्यूआर कोड स्कैनर का उपयोग करके आधार के सभी रूपों (आधार पत्र, ई-आधार, आधार पीवीसी कार्ड और एम-आधार) पर उपलब्ध क्यूआर कोड का उपयोग करके सत्यापित किया जा सकता है। क्यूआर कोड स्कैनर एंड्रॉइड और आईओएस आधारित मोबाइल फोन के साथ-साथ विंडो-आधारित एप्लिकेशन दोनों के लिए फ्री में उपलब्ध है।

निवासी कागज या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना आधार प्रस्तुत करके अपनी पहचान स्थापित करने के लिए स्वेच्छा से आधार संख्या का उपयोग कर सकते हैं। यूआईडीएआई ने पहले ही निवासियों के लिए क्या करें और क्या न करें जारी किया है, और निवासी अपने आधार का उपयोग पूरे विश्वास से कर सकते हैं।

कॉप 27: कार्यान्वयन का 'कॉप'

भूपेंद्र यादव
केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार मंत्री

27वां पार्टियों का सम्मेलन (कॉप27) पिछले सप्ताह समाप्त हुआ और कई चुनौतियों तथा विचारों में भिन्नता के बावजूद, सदस्य देशों ने जटिल मुद्दों के समाधान के प्रयास किये। कॉप27 को कार्यान्वयन के लिए कॉप का ब्रांड नाम दिये जाने के साथ, प्रमुख मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये, जिनमें प्रमुख हैं– हानि और क्षति वित्त पोषण पर समझौता (अनुकूलन और शमन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना, जो उत्सर्जन में कमी का मुकाबला करता है और प्रभावी कार्यान्वयन को गति प्रदान करता है तथा जो वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रखने के अधिक महत्वाकांक्षी पेरिस समझौते के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए वैश्विक समुदाय को प्रेरित करता है।

भारत की दृष्टि से कॉप27 के परिणाम महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि एक देश के रूप भारत के या विकासशील देशों की सामूहिक आवाज के रूप में भारत द्वारा प्रस्तावित चिंताओं, विचारों और सुझावों को उचित महत्व दिया गया है। शर्म अल–शेख कार्यान्वयन योजना मानती है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए 2019 के स्तर की तुलना में 2030 तक वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 43 प्रतिशत की तेज और निरंतर कमी किए जाने की आवश्यकता है। योजना यह भी स्वीकार करती है कि 'विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में एवं सतत विकास और गरीबी उन्मूलन के प्रयासों के संदर्भ में सामान्य लेकिन पृथक जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर–आरसी) को दर्शाते हुए, न्यायपूर्ण और सर्वोत्तम उपलब्ध वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर, इस महत्वपूर्ण दशक में त्वरित कारवाई की आवश्यकता है।

भारत, राष्ट्रों के लिए जलवायु कारवाई लक्ष्यों को निर्धारित करने और इन्हें पूरा करने में सीबीडीआर–आरसी दृष्टिकोण अपनाने का मुखर समर्थक रहा है, ताकि जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितताओं से पृथ्वी को बचाने की इस संयुक्त लड़ाई में हम ऐतिहासिक प्रदूषण फैलाने वाले देशों और तकनीकी व वित्तीय अंतर के प्रति सचेत रहें तथा हरित विश्व निर्माण के लिए विकासशील देशों को शामिल किए जाने की आवश्यकता सुनिश्चित की जा सके।

कार्यान्वयन योजना ने पार्टियों से आग्रह किया, 'जिन्होंने अभी तक नए या अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों की जानकारी नहीं दी है, वे जल्द से जल्द इसे पूरा करें।' भारत न केवल उन 29 देशों में शामिल है, जिन्होंने सीओपी26 के बाद अपने बढ़े हुए एनडीसी प्रस्तुत किए हैं, बल्कि उन 60 से कम देशों की उस सूची में भी मौजूद है, जिन्होंने ग्लासगो में अपनी शुद्ध शून्य घोषणा के एक वर्ष के भीतर अपनी दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीतियां प्रस्तुत की हैं। ये कदम, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के प्रयास का हिस्सा बनने के सन्दर्भ में नरेन्द्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

देशों को निम्न–कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ने के लिए एक कार्ययोजना तैयार करते हुए, कॉप27 कार्यान्वयन योजना 'राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप सबसे गरीब और सबसे कमजोर देशों को लक्ष्य–आधारित समर्थन देने और एक न्यायपूर्ण परिवर्तन की दिशा में समर्थन की आवश्यकता की पहचान करने' का आहवान करती है। इसने मान्यता दी कि 'विकासशील देशों को दिया गया अधिक समर्थन, उनकी कार्रवाई संबंधी उच्च महत्वाकांक्षा को अनुमति प्रदान करेगा।'

भारत ने इस बात को रेखांकित किया कि अधिकांश विकासशील देशों के लिए न्यायपूर्ण बदलाव की तुलना सिर्फ कार्बनीकरण को कम करने से नहीं की जा सकती है, लेकिन कम–कार्बन उत्सर्जन के साथ (विकासशील देशों को, अपनी पसंद के ऊर्जा मिश्रण तथा एसडीजी हासिल करने में, स्वतंत्रता की आवश्यकता है।

क प27 ने सभी जलवायु कारवाईयों– न कि केवल शमन, बल्कि शमन, अनुकूलन, वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण–पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व को रेखांकित किया।

कॉप 27 योजना ने 'गंभीर चिंता के साथ, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से मुकाबले के लिए अनुकूलन के मौजूदा स्तरों और उन स्तरों, जिनकी आवश्यकता है, के बीच मौजूदा अंतर को ''जलवायु परिवर्तन छठी आकलन रिपोर्ट पर अंतर–सरकारी पैनल के सन्दर्भ में कार्य समूह II के योगदान के निष्कर्षों के अनुरूप'' बताया।

इसने पार्टियों से क्षमता बढ़ाने, सहनीयता को मजबूत करने और जलवायु परिवर्तन के प्रति खतरे को कम करने के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। इसने विकासशील देशों से 'जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अनुकूलन के लिए क्षमता निर्माण संबंधी अपने प्रावधान को तत्काल और महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने का आग्रह किया, ताकि विकासशील देशों की जरूरतों का समाधान किया जा सके।' भारत ने लंबे समय से अनुकूलन को उचित महत्व देने और विकासशील देशों की जरूरतों के पैमाने के अनुरूप संसाधनों के पैमाने पर चर्चा करने की तत्काल आवश्यकता पर अपनी लड़ाई को जारी रखा है।

कॉप27 कार्यान्वयन योजना इस बात पर जोर देती है कि उचित और न्यायसंगत बदलाव के उपायों में ऊर्जा, सामाजिक आर्थिक, कार्यबल और अन्य आयाम शामिल हैं, जिनमें से सामाजिक सुरक्षा समेत सभी को राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित विकास प्राथमिकताओं पर आधारित होना चाहिए, ताकि परिवर्तन से जुड़े संभावित प्रभावों को कम किया जा सके। इस योजना में, सामाजिक एकजुटता तथा लागू उपायों के प्रभावों को कम करने से संबंधित उपकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है।

योजना दस्तावेज़ ने ''सार्थक शमन कारवाई और कार्यान्वयन पर पारदर्शिता के संदर्भ में विकसित देशों का 2020 तक प्रति वर्ष संयुक्त रूप से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं होने ... '' पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

भारत के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम, शर्म अल–शेख कार्यान्वयन योजना के प्रस्तावना निर्णय में ''जलवायु परिवर्तन के समाधान के प्रयासों में सतत जीवनशैली अपनाना तथा उपभोग और उत्पादन के स्थायी प्रारूप की दिशा में बदलाव'' को शामिल किया जाना है। यह कदम 'मिशन लाइफ' के अनुरूप है, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 20 अक्तूबर को शुरू की गई 'पर्यावरण के लिए जीवनशैली' को बढ़ावा देता है।

कॉप27, पेरिस समझौते के तहत जलवायु वित्त पर नए सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए भी मंच तैयार करता है। इसने जलवायु वित्त पर नए सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य (एनसीक्यूजी) पर विचार–विमर्श में ठोस प्रगति की आवश्यकता को स्वीकार किया, जो मात्रा, गुणवत्ता, पहुंच और धन के स्रोतों समेत विकासशील देशों की जरूरतों और प्राथमिकताओं जैसे विषयों पर भी विचार करेगा।

कार्यान्वयन योजना दस्तावेज़, जलवायु न्याय पर केंद्रित है, जो विकासशील देशों द्वारा सामना की जा रही चिंताओं और मुद्दों का समाधान करता है। भारत के सुझावों को कॉप27 के निर्णयों में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री मोदी, जिनके नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय पहल हुई हैं, ने बार–बार दोहराया है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में कोई भी देश पीछे नहीं छूटना चाहिए। भारत ने जलवायु परिवर्तन की अनियमितताओं के प्रति सबसे संवेदनशील देशों के लिए एक विशेष कार्ययोजना तैयार की है और जलवायु वार्ताओं में जलवायु न्याय की मांग की है।

कॉप27 ने वित्त से लेकर अनुकूलन तक सभी क्षेत्रों में तत्काल कारवाई और वादों के कार्यान्वयन के लिए आवाज बुलंद की है। भारत जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान देता है और उम्मीद करता है कि वैश्विक समुदाय, विशेष रूप से विकसित देश भी अपने वादे को पूरा करेंगे।

भारत डेयरी क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार

पुरशोत्तम रुपाला
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

देश ने 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया। यह अवसर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिवंगत डॉ. वर्गीज कुरियन की 101वीं जयंती को रेखांकित करता है, जिन्हें भारत की 'श्वेत क्रांति' का सूत्रपात करने का श्रेय दिया जाता है। भारत के डेयरी क्षेत्र में विकास और उन्नति कई मायनों में, वैश्विक मानचित्र पर देश के सम्मान और प्रभाव के रेखा–चित्र का प्रतीक रहा है। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, देश के दूध उत्पादन में 44 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गयी है और वर्ष 2020–2021 में, हमने 210 एमटी दूध का उत्पादन किया, जो दुनिया के कुल दूध उत्पादन का 23 प्रतिशत है। भारत की प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 2020–21 में 427 ग्राम प्रति दिन रही, जबकि इसी अवधि के दौरान विश्व औसत 394 ग्राम प्रति दिन था।

भारत में डेयरी क्षेत्र बड़े पैमाने पर सहकारी संरचना के तहत संगठित है और सहकारी समितियों ने डेयरी किसानों के मोल–भाव की ताकत बढ़ाने और अपने–अपने क्षेत्रों में दूध खरीद तथा दूध बिक्री की कीमत को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चावल और गेहूं जैसी फसलों के परिदृश्य के विपरीत, सरकार डेयरी उत्पादों की कीमतों को निर्धारित नहीं करती है और दूध की खरीद में शामिल नहीं होती है। इससे डेयरी सहकारी समितियों की स्वायत्तता को बढ़ावा मिला है और वे बाजार उन्मुख होने के लिए प्रोत्साहित हुई हैं। वास्तव में, देश की कुछ प्रमुख डेयरी सहकारी समितियों ने प्रदर्शन और लाभ, दोनों में निजी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। भारत की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी अमूल, देश में सहकारी प्रारूप की शक्ति और सफलता का एक उत्कृष्ट प्रमाण है।

अब जब हम वैश्विक महामारी से उबर रहे हैं, तो लॉकडाउन अवधि के दौरान और उसके बाद डेयरी किसानों की सहायता के लिए, सरकार और डेयरी सहकारी समितियों द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डालना उचित होगा। महामारी के दौरान डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद में वृद्धि जारी रही, क्योंकि इसने किसानों के अतिरिक्त दूध की खरीद की, जो अन्यथा निजी और असंगठित क्षेत्र के व्यवसायियों को बेचा जाता था। 2020–21 के दौरान डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सहायता प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने मौजूदा केंद्रीय क्षेत्र की योजना–'डेयरी कार्यों से जुड़े डेयरी सहकारी समिति और किसान उत्पादक संगठन (एसडीसीएफपीओ)' योजना के तहत 'कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज में छूट' घटक लॉन्च किया। इस तरह के उपायों से हमारे डेयरी उद्योग को पिछले दो वर्षों में सक्षम बने रहने में मदद मिली है।

प्रौद्योगिकी की बढ़ती क्षमता का लाभ उठाने के क्रम में, पशुधन प्रबंधन को आसान बनाने और इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए ई–गोपाला नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग पशु आधार, पशु पोषण, संजातीय–पशु चिकित्सा दवाएं (ईवीएम), पशु प्रजनन संबंधी सेवाओं और सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ई–गोपाला ऐप डेयरी पशुओं, गोजातीय वीर्य, भ्रूण आदि की खरीद और बिक्री के लिए भी एक मंच प्रदान करता है। इस कार्य के पूरक के रूप में, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा डेयरी किसानों की सहायता के लिए 'पशु मित्र' नामक एक हेल्पलाइन स्थापित की गई है, जो किसानों को पशुओं के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी प्रश्नों का विशेषज्ञों द्वारा सीधे जवाब प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा।

यह देखते हुए कि वर्ष 2025 तक भारत का दूध उत्पादन 270 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) तक पहुंच जाने की उम्मीद है, व्यापारिक निगमों को प्रसंस्करण से जुड़ी सुविधाओं में निवेश करने की जरूरत होगी और यह डेयरी क्षेत्र के भीतर 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की क्षमता प्रदान करता है। डेयरी क्षेत्र में मोटे तौर पर बुनियादी ढांचे में पैमाने की दृष्टि से 120–130 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) की कमी है। यह कमी अगले 9–12 वर्षों में निवेश पर 17–20 प्रतिशत के अपेक्षित लाभ के साथ लगभग 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की संभावनाएं खोलती है। निर्यात बाजार में हमारी बढ़ती उपस्थिति डेयरी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का एक और प्रेरक है। उदाहरण के लिए, एचएस कोड 0406 के तहत भारत का पनीर निर्यात 2015–2020 की अवधि के दौरान 16 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ा है। जिन प्रमुख देशों को पनीर का निर्यात किया गया उनमें संयुक्त अरब अमीरात, भूटान और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। वर्तमान में दुनिया भर में 75 से अधिक ऐसे देश हैं जहां दूध की कमी है। इनमें से अधिकांश देश एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के हैं। यह भारत के लिए नए बाजारों में पैठ बनाने का एक बढ़िया अवसर प्रदान करता है। इसके लिए, राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन जैसी हालिया पहल पता लगाने की क्षमता (ट्रेसबिलिटी) संबंधी मानकों को बेहतर करने की दिशा में एक लंबा सफर तय करेगी और भारतीय कंपनियों को आयात करने वाले देशों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में सक्षम बनाएगी।

डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने डेयरी निवेश त्वरक की स्थापना की है, जिसके तहत गेट्स फाउंडेशन और इन्वेस्ट इंडिया जैसी संस्थाएं निःस्वार्थ सेवाएं प्रदान करने के लिए सहयोग करेंगी। इसमें समस्या समाधान, निवेश सुविधा, निर्यात रणनीति में सहायता, बाजार अनुसंधान, स्थान मूल्यांकन आदि जैसे पहलू शामिल होंगे। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि डेयरी क्षेत्र ने फसलें खराब हो जाने की स्थिति में पारंपरिक किसानों को आय का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान किया है। वर्तमान सरकार के प्रयास डेयरी उद्योग को असंगठित से संगठित क्षेत्र में बदलने पर केंद्रित हैं, जिसका अंतिम लक्ष्य किसानों की आय में वृद्धि करना और मूल्य श्रृंखला में रोजगार का सृजन करना है। पशुपालन अवसंरचना विकास कोष, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पशुपालन ग्रैंड स्टार्ट–अप चैलेंज, और पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड सुविधाओं के विस्तार जैसी हालिया योजनाओं से हमारे डेयरी क्षेत्र में बेहतर मानकों और नवाचारों की शुरुआत होगी। इस प्रकार, डॉ. कुरियन की 101वीं जयंती के अवसर पर हमें यह विश्वास है कि भारत आने वाले समय में डेयरी उत्पादों के एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरने के लिए तैयार है।

मानसिक स्वास्थ्य और सुखमय जीवन स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए नितांत आवश्यकः मुख्य सचिव

शिमला/शैल। मुख्य सचिव आर.डी धीमान ने मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 पर राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण शिमला द्वारा आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि स्वस्थ जीवन और मानसिक स्वास्थ्य मजबूत समाज के निर्माण के लिए नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी ने विश्वसनीय मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

उन्होंने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के वर्ष 2030 के 17 सतत विकास

लक्ष्यों में से एक है। सतत विकास लक्ष्य 3 न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक रोकथाम और उपचार के माध्यम से गैर-संचारी रोगों से समयपूर्व मृत्यु दर को एक तिहाई कम करने और मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उन्होंने व्यक्तियों, समुदायों और नीति निर्धारकों के रूप में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति मूल्य और प्रतिबद्धता को दृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक भय मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े रोगों के शीघ्र निदान और उपचार पर भी प्रभाव डालता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास अस्पताल शिमला इस विषय के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए नियमित रूप से कार्यशाला, सेमिनार और अन्य गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे जादुई उपचार के झांसे में न आएं क्योंकि यह प्रारंभिक निदान और उपचार में हस्तक्षेप करता है।

प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभासीष पन्डा ने मुख्य सचिव का स्वागत किया और राज्य में मानसिक स्वास्थ्य के विषय में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से ग्रस्त व्यक्तियों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा विषय है, जिसका सामना विश्व भर में किया जा रहा है। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि यह सभी के लिए सुलभ और सस्ती हो।

वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, हिमाचल प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास अस्पताल शिमला एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण डॉ. संजय पाठक ने मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों और सेवाओं के वितरण के दौरान ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, प्रचार व पूर्ति करने और उससे जुड़े मामलों से सम्बन्धित प्रावधान हैं।

इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला के मनोचिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. दिनेश दत्त शर्मा ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य सुखमय जीवन की एक अवस्था है, जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास करता है, जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, उत्पादक और फलदायी रूप से काम कर सकता है और अपने समुदाय के लिए योगदान करने में सक्षम होता है।

इस अवसर पर विभिन्न हितधारकों ने मानसिक स्वास्थ्य विषय पर चर्चा भी की।

बैठक में प्रदेश सरकार के सचिवों, विभागाध्यक्षों, वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया।

जैविक उत्पादन प्रणाली और प्राकृतिक खेती पर पाठयक्रम का समापन

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में जैविक उत्पादन प्रणाली में विकास और प्राकृतिक खेती

पर आयोजित 10 दिवसीय पाठयक्रम सह प्रशिक्षण का समापन हुआ।

पाठयक्रम को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित और विश्वविद्यालय के प्लांट पैथोलॉजी विभाग द्वारा इसकी योजना और आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हिमाचल के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 17 वैज्ञानिकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन के तहत ही प्रशिक्षुओं का चयन किया गया।

समापन सत्र के दौरान प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल ने कहा कि कृषि समुदाय की भलाई के लिए विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिकों को एकजुट होकर काम करते देखना अद्भुत है। उन्होंने कहा कि देश ने मिट्टी और पानी का संरक्षण सुनिश्चित करने और समाज को स्वस्थ भोजन प्रदान करने के लिए देश ने सही समय पर एक चुनौती ली है।

प्रो. चंदेल ने कहा कि प्राकृतिक खेती एक किसान-केंद्रित दृष्टिकोण है जहां किसानों के साथ-साथ वैज्ञानिक समुदाय भी सीख रहा है। उन्होंने प्रशिक्षुओं से आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके अपने क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक खेती पर अपना पैकेज ऑफ प्रैक्टिस विकसित करें।

इससे पहले प्लांट पैथोलॉजी विभाग के हैड और पाठयक्रम निदेशक डॉ. एचआर गौतम ने प्रतिभागियों को पाठयक्रम में रुचि लेने के लिए धन्यवाद दिया और उनसे अपने संस्थानों और क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का ब्रांड एंबेसडर के रूप में कार्य करने का आग्रह किया। पाठयक्रम के दौरान, प्रतिभागियों को प्राकृतिक खेती के सभी पहलुओं के बुनियादी सिद्धांतों, खाद्य उत्पादन, पौधों की सुरक्षा, पोस्ट हार्वेस्ट और प्राकृतिक खेती के समग्र अर्थशास्त्र से अवगत करवाया गया। माइक्रोब्स का जैविक और प्राकृतिक कृषि प्रणालियों में उनके संभावित उपयोग, बहुपरत खेती, मृदा पोषक तत्वों की गतिशीलता और विश्लेषण, बायोकंट्रोल एजेंटों का प्रभावी उपयोग और रोग प्रबंधन में नई अंतर्दृष्टि जैसे विषयों को ट्रेनिंग के दौरान कवर किए गए। मशोबरा और नौणी में विश्वविद्यालय के खेतों का दौरा और क्षेत्र प्रशिक्षण भी इस ट्रेनिंग में शामिल रहा।

डॉ. संजीव चौहान, अनुसंधान निदेशक, डॉ. मनीष शर्मा, डीन सीओएच, डॉ. सीएल ठाकुर, डीन सीओएफ, प्रशिक्षण समन्वयक डॉ. एन.के. भरत और डॉ. भूपेश गुप्ता सहित विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती में लगे संकाय ने समापन समारोह में भाग लिया।

यूआईटी ने चार दिवसीय 'उत्कर्ष -2022' के सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान (यूआईटी) ने अपने चार दिवसीय तकनीकी- सांस्कृतिक 'उत्कर्ष -2022' के सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ई. डी.के शर्मा, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एचपीईआरसी) रहे। समारोह की अध्यक्षता प्रोफेसर ज्योति प्रकाश, प्रो-वाइस चांसलर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला ने की और विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल, अधिष्ठाता अध्ययन , हिमाचल प्रदेश, विश्वविद्यालय, शिमला थे।

प्रोफेसर पी. एल. शर्मा, निदेशक, यूआईटी ने अपने स्वागत भाषण में व्हाट्सएप के संस्थापक ब्रायन एक्टन का उदाहरण दिया। प्रो. शर्मा ने कहा कि फोटो/वीडियो शेयरिंग और ऑडियो/वीडियो कॉलिंग की अतिरिक्त सुविधा के साथ पाठ संदेश के विकल्प के रूप में शुरू किया गया व्हाट्सएप अब दुनिया भर में उपयोग किया जाता है।

साधारण स्नातक ब्रायन एक्टन के इस अनोखे विचार ने उन्हें कम उम्र में प्रसिद्ध होने के साथ-साथ अमीर भी बना दिया। उन्होंने फेसबुक को व्हाट्सएप 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी कीमत पर बेचा। इस तरह के तकनीकी-सांस्कृतिक उत्सव के आयोजन का लक्ष्य हर छात्र में रचनात्मकता और जुनून की भावना पैदा करना है। ई. डी.के. शर्मा, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में ऊर्जा परिवर्तन, ऊर्जा बचत और जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भविष्य यूआईटी के युवा दिमागों का है जिन्हें इन संवेदनशील मुद्दों पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने छात्रों को भौगोलिक सीमाओं से बंधे नहीं बल्कि लीक से हटकर सोचने की सलाह दी।

ई. शर्मा ने आगे छात्रों को बड़ा सोचने और अपने सपनों को जीने के लिए खुद पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने छात्रों से नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी देने वाले बनने का प्रयास करने को कहा। अंत में उन्होंने इतने कम समय में अधिक ऊंचाई हासिल करने के लिए यूआईटी की प्रशंसा की। प्रो. ज्योति प्रकाश, प्रो वाइस चांसलर ने अपने संबोधन में निदेशक यूआईटी, प्रो. पी.एल. शर्मा जिनके सक्षम मार्गदर्शन में यूआईटी ने कई गुना वृद्धि की है को बधाई दी । उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के तकनीकी-सांस्कृतिक और खेल आयोजन छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

उन्होंने छात्रों को जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण और केंद्रित दृष्टिकोण रखने के लिए प्रेरित किया। प्रो. कुलभूषण चंदेल ने अपने संबोधन में छात्रों को इस भव्य आयोजन के लिए बधाई दी। प्रो. चंदेल ने स्वामी विवेकानंद को उद्धृत करते हुए कहा कि शिक्षा से हर छात्र का समग्र विकास होना चाहिए। उन्होंने छात्रों को जीवन में सफल होने के लिए अपने ज्ञान, कौशल और दृष्टि को बढ़ाने की सलाह दी। तत्पश्चात गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उत्कर्ष-2022 पत्रिका का शुभारंभ किया गया। 23 और 24 नवंबर को आयोजित तकनीकी कार्यक्रमों में लगभग 450 छात्रों ने भाग लिया और सांस्कृतिक उत्सव में 550 छात्र भाग ले रहे हैं। धन्यवाद ज्ञापन डॉ. सुमेश सूद ने किया। उद्घाटन समारोह में यूआईटी के सभी संकाय सदस्यों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों और छात्रों ने भाग लिया।

गणित का भय दूर करने के लिए सरकारी शिक्षक की अनूठी पहल

शिमला/शैल। स्कूली छात्रों के मन से गणित विषय का भय दूर करने के लिए जिला कांगड़ा के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने एक अनूठी पहल की है। इंदौरा उपमंडल में स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मोहटली

के गणित प्रवक्ता विजय कुमार ने गणित विषय में बच्चों की रूचि बढ़ाने के उद्देश्य से मोबाइल रामानुजन मैथ्स लैब की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से वे गांव गांव जाकर बच्चों को व्यवहारिक रूप से गणित के प्र नों को हल करना सिखाएंगे।

डीसी कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने उपायुक्त कार्यालय धर्मशाला से मोबाईल रामानुजन मैथ्स लैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके एसडीएम इंदौरा विनय मोदी भी उनके साथ रहे।

डॉ. निपुण जिंदल ने प्रवक्ता विजय कुमार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे बच्चों की गणित विषय में रूचि बढ़ेगी, साथ ही अन्य शिक्षकों के लिए भी यह प्रेरणास्पद है। भारत के महान गणितज्ञ श्री रामानुजन के नाम पर इस पहल की शुरुआत की गई है।

डॉ. जिंदल ने प्रवक्ता विजय कुमार को उनकी इस पहल के लिए मंगलकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि श्री विजय कुमार के प्रयासों से मोहटली स्कूल में रामानुजन मैथ्स पार्क की स्थापना भी की जा रही है। इसमें वहां के प्रधानाचार्य का भी बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि स्कूली बच्चों में गणित विषय को लेकर एक अलग सा भय होता है, जिस कारण गणित के सरल सवालों को हल करने में भी उन्हें कठिनाई होती है। प्रवक्ता विजय व स्कूल प्रशासन के इस तरह के प्रयास प्रशंसनीय हैं, जिसमें प्रैक्टिकल तरीके से बच्चों को गणित सिखाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से जिस भी तरह से सहायता की आवश्यकता होगी, वह उपलब्ध कराई जाएगी।

इस अवसर पर गणित प्रवक्ता विजय कुमार ने उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल का आभार जताते हुए कहा कि उपायुक्त ने उनके इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए समर्थन देकर उनके हौसले को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए गणित विषय को सरल बनाने की दृष्टि से उनको रामानुजन मैथ्स लैब प्रारंभ करने का विचार आया। उन्होंने बताया कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मोहटली में रामानुजन मैथ्स पार्क स्थापित करने के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन ने पूरा सहयोग किया।

भाजपा भरोसे का दूसरा नाम, गुजरात में फिर खिलेगा कमलः अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुजरात विधानसभा चुनावों में अहमदाबाद में प्रेस कान्फ्रेंस एवं भुज में युवा विश्वास युवा सम्मेलन के अन्तर्गत दो कार्यक्रमों

के दौरान भाजपा को भरोसे का दूसरा नाम बताया व गुजरात में फिर से विशाल बहुमत से भाजपा की सरकार बनने की बात कही।

अनुराग ठाकुर ने कहा विगत दो दशकों से ज्यादा समय में भारतीय जनता पार्टी में गुजरात में सुशासन व सेवा भाव की सरकार चलाई है। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी के सम्यक् नेतृत्व में गुजरात दंगा, अराजकता, माफियाराज भ्रष्टाचार के जंजाल से मुक्त होकर प्रगति के अभूतपूर्व पथ पर आगे बढ़ा है। गुजरात ने देश के सामने विकास का एक सफल मॉडल सामने रखा है। आज देश भर भाजपा भरोसे का दूसरा नाम बन चुकी है जिस पर लोगों का अटूट विश्वास है। गुजरात की जनता की पूरी आस्था भाजपा और प्रधानमन्त्री मोदी जी व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल की नीतियों में है। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सभाओं में जनता की भारी भीड़ पार्टी प्रति उनके स्नेह का प्रतीक है और इसे देखते हुए यह स्पष्ट है कि एक बार फिर गुजरात में कमल खिलने की तैयारी है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कभी दशकों तक राज करने वाली कांग्रेस के पास आज विपक्ष का नेता बनाने लायक भी सदस्य पूरे नहीं हैं और यही हाल पार्टी का गुजरात में होने वाला है। जहां पर भी नंबर वन की बात आती है तो गुजरात आगे रहता है। जब कोई कृषि के क्षेत्र में डबल डिजिट ग्रोथ नहीं देखता था तब मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में वह ग्रोथ दिखी, जब कोई बड़े बांध बनाने का सपना नहीं देखता था तब नर्मदा बांध बना, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, पहली बुलेट ट्रेन गुजरात में और एक्सपोर्ट के मामले में भी गुजरात नंबर वन है।

अनुराग ठाकुर ने भाजपा के संकल्प पत्र में किये गए वादों को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि 'बेटियों के लिए केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त होगी। मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी मुफ्त में मिलेगी। 60 साल से ज्यादा उम्र की बुजुर्ग महिलाओं के लिए बस में मुफ्त सेवा मिलेगी। इसके अलावा ठाकुर ने कहा, हमने गुजरात को एक ट्रिलियन डॉलर इकनॉमी बनाने का संकल्प लिया है। भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर इकनॉमी में गुजरात का भी एक ट्रिलियन डॉलर इकनॉमी का बहुत बड़ा सहयोग होगा। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि गुजरात में अगले 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और एक लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी अगले 5 साल में देंगे। ठाकुर ने बताया कि आयुष्मान भारत की तर्ज पर गुजरात में 10 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त में किया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण के लिए एक हजार करोड़ रूपए खर्च किये जाएंगे।

भारतीय संविधान दिवस की 74वीं वर्षगांठ का समारोह कांग्रेस मुख्यालय में मनाया गया

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में भारतीय संविधान दिवस की 74वीं वर्षगांठ का

समारोह हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के सभी वारिष्ठ पदाधिकारियों उपस्थित कार्यकर्ताओं को पीसीसी महासचिव समन्वयक देवेन्द्र बुशैहरी द्वारा संविधान की शपथ दिलाई गई। संविधान निर्माता डा. भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान की प्रारुप समिति के अध्यक्ष डा.अम्बेदकर ने विश्व के सबसे बड़े संविधान की संरचना दो वर्ष, 11 महीने और 18 दिन में पूरी की। इसके पश्चात 26 नवम्बर 1950 को धर्मनिरपेक्ष संविधान को राष्ट्र को समर्पित किया गया व इसके लागू होते ही भारत एक पूर्ण गणतंत्र बन गया और इस दिन को हम सब देशवासी गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं।

उन्होंने कहा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जो हर जाति, वर्ग, समुदाय को बराबर अधिकार देता है।

इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं व बुद्धिजीवी विभाग से पूर्व सचिव हिमाचल प्रदेश संस्कृत अकादमी डा.मस्तराम शर्मा,डा. दिनेश कुमार,पूर्व विशेष कार्य अधिकारी, पूर्व सैनिक विभाग उपाध्यक्ष एस के सहगल व शक्तराम कश्यप अध्यक्ष कुसुम्पटी सेवा दल व सदस्य अनुसूचित जाति ने भारत के संविधान में निहित अधिकारों व कर्तव्यों पर क्रमबद्ध रूप से प्रकाश डालते हुए अपने विचार अभिव्यक्त किए।

इस अवसर पर संविधान शपथ समारोह में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, उपाध्यक्ष संजय चौहान प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चन्देल, महासचिव एवं कांग्रेस अनुसूचित विभाग के प्रभारी यशपाल तनाईक, पीसीसी के वारिष्ठ प्रवक्ता एस एस जोगटा व अनेक अन्य कांग्रेस जनों ने इसमें भाग लिया।

स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत विषय पर संगोष्ठी आयोजित

शिमला/शैल। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार की प्रस्तावित परियोजना के कार्यान्वयन में केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला (सी.डब्ल्यू.पी.आर.एस) पुणे की विशेषज्ञ सेवाएं ली जाएंगी। इसे लेकर केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला के वैज्ञानिकों का एक दल तीन दिनों के लिए जिले के दौरे पर है। यह दल एयरपोर्ट रनवे ब्रिज के निर्माण और उससे जुड़े हर पहलू के गहन अध्ययन के उपरांत व्यवहारिकता रिपार्ट सौंपेंगा। इसके अलावा यह दल परियोजना के पर्यावरण प्रभाव के आकलन समेत पारिस्थितकीय पहलुओं से जुड़े मुद्दों पर भी परामर्श देगा। उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने वैज्ञानिकों के इस दल सहित सभी संबंधित एजेंसियों की एक बैठक ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए।

डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि बैठक में सी.डब्ल्यू.पी.आर.एस पुणे के वैज्ञानिकों के दल के सहयोग को एक जिलास्तरीय कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया है। उनके कार्य को लेकर विचारार्थ विषय (टर्म ऑफ रेफरेंस) निर्धारित किए गए हैं। यह कमेटी प्रस्तावित परियोजना निर्माण ये जुड़े तय विचारार्थ विषय को लेकर सी.डब्ल्यू.पी. आर.एस के दल का सहयोग करेगी।

उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में कांगड़ा के जल शक्ति विभाग धर्मशाला और लोक निर्माण विभाग पालमपुर के अधीक्षण अभियंता, जल शक्ति विभाग शाहपुर, कांगड़ा और धर्मशाला तथा लोक निर्माण विभाग शाहपुर व कांगड़ा के अधिशासी अभियंता, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कांगड़ा के निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के उप प्रबंधक और जिला खनन अधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

जिला स्तरीय कमेटी सी.डब्ल्यू.पी. आर.एस पुणे के वैज्ञानिकों के दल को प्रस्तावित निर्माण से संबधित मुख्यत: पांच बिंदुओं को लेकर रिपोर्ट बनाने में सहयोग देगी।

मांझी खड्ड पर बनी पानी की योजनाओं को बहाल रखने और उनके स्वाभाविक बहाव को कायम रखने के साथ पारस्थितकीय पहलुओं को लेकर परामर्श देना।

खड्ड के ऊपरी और निचले सिरों पर टिकाऊ ढांचागत निर्माण को लेकर सलाह देना।

खड्ड के तटीकरण व चैक डैम बनाने और रनवे ब्रिज निर्माण को लेकर मार्गदर्शन करना।

प्रस्तावित रनवे ब्रिज क्षेत्र को आवश्यकता होने पर, पूर्णत: खनन प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने की जरूरत को लेकर राय देना।

प्रशासन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रस्तावित एनएच के रि-अलाइनमेंट के चलते मांझी खड्ड पर प्रस्तावित पुल निर्माण को लेकर विशेषज्ञ परामर्श देना।

डॉ. जिंदल ने बताया कि इसके अलावा लोक निर्माण विभाग ढांचागत निर्माण के संबंध में आवश्यक होने पर अपने स्तर पर एनआईटी अथवा आईआईटी के विशेषज्ञों की सेवाएं लेगा।

बैठक में सी.डब्ल्यू.पी.आर.एस पुणे के वैज्ञानिक, एडीएम रोहित राठौर, उप निदेशक पर्यटन विनय धीमान सहित जलशक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कांगड़ा और एनएचएआई सहित परियोजना से जुड़े अन्य एजेंसियों के अधिकारी उपस्थित रहे।

कांग्रेस के भाजपा पर लगाये सभी आरोप निराधारः रणधीर शर्मा

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के भाजपा पर लगाये सभी आरोप निराधार हैं, उन्होंने कहा कि

भाजपा को किसी भी पार्टी के विधायकों की आवश्यकता नहीं क्योंकि भाजपा अपने ही बल पर एक मजबूत सरकार बनाने जा रही है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं पर हॉर्स ट्रेडिंग भाजपा ना करती है ना करेगी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जानते हैं कि वह बड़ी हार का सामना करने वाले हैं इसलिए वह जनता का ध्यान भटकाने का कार्य कर रहे हैं, कभी ईवीएम की बात करते हैं तो कभी हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जबसे देश में ईवीएम के माध्यम से मतदान हो रहा है तब से कांग्रेस के नेता है ईवीएम को दोष दे रहे हैं , पर वह तभी दोष देते हैं जब वह हारने की स्थिति में होते हैं ईवीएम में ना कोई गड़बड़ी होती है ना हो सकती है।

ऑडिट सप्ताह 2022:भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया

शिमला/शैल। ऑडिट सप्ताह के दूसरे दिन इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीएमसी) शिमला के सहयोग से भारतीय लेखापरीक्षा और

लेखा विभाग के तीनों कार्यालयों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन राष्ट्रीय लेखापरीक्षा और लेखा अकादमी के महानिदेशक मनीष कुमार ने किया। इस अवसर पर प्रधान महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश (लेखा एवं हकदारी) सुशील कुमार और प्रधान महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश (लेखापरीक्षा) चंदा पंडित भी उपस्थित थे। डॉ. संदीप मल्होत्रा, विभागाध्यक्ष ब्लड बैंक आईजीएमसी शिमला ने छह डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम के साथ रक्त एकत्रित करने में सहायता की।

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के तीनों कार्यालयों के अधिकारियों/ कर्मचारियों और आम जनता ने गहन रुचि दिखाते हुए रक्तदान शिविर में भाग लिया। कुल 103 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जिसे आईजीएमसी शिमला के ब्लड बैंक में भेजा गया।

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (आईए एंड एडी), जिस के अध्यक्ष भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक हैं, के द्वारा 16 नवंबर को 'ऑडिट दिवस' के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1860 में भारत के पहले महालेखापरीक्षक की नियुक्ति हुई थी। इस के अनुक्रम में हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के तीनों कार्यालयों(राष्ट्रीय लेखापरीक्षा और लेखा अकादमी, प्रधान महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश (लेखापरीक्षा) एवं प्रधान महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश (लेखा एवं हकदारी), में 21 से 27 नवंबर 2022 तक ऑडिट सप्ताह मनाया जा रहा है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या भाजपा कांग्रेस के अन्दर तोड़फोड़ की योजना बना रही है

शिमला/शैल। कांग्रेस प्रदेश में अगली सरकार बनाने जा रही है यह मानना है राजनीतिक विश्लेषकों का। बल्कि पत्रकारों का वह वर्ग भी ऐसा ही मान रहा है जो मतदान से पहले तक यह लिख रहा था कि भाजपा इस बार जीत का नया रिकॉर्ड स्थापित करेगी। कांग्रेस संगठन और साधनों के स्तर पर भाजपा से जिस कदर कमजोर थी प्रदेश की जनता ने उसी को सामने रखकर कांग्रेस को इतना समर्थन दिया है कि भाजपा का कोई भी प्रयास कांग्रेस को तोड़ नहीं पायेगा। विश्लेषकों की नजर में यह मतदान भाजपा के जुमलों पर उभरे जनाक्रोश पर जनता का कांग्रेस के प्रति एकतरफा समर्थन रहा है। यदि आप या निर्दलीय प्रदेश में एक दो सीट निकाल पाये तो शायद भाजपा को दहाई का आंकड़ा छूना भी कठिन हो जायेगा। लेकिन इसी सबके साथ एक कड़वा सच यह भी है कि भाजपा की केन्द्र में ही सरकार है और 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। इन चुनाव में हिमाचल और गुजरात दोनों जगह भाजपा का चुनाव प्रचार केन्द्रीय नेतृत्व पर केंद्रित हो गया है। उससे इन चुनावों में सीधे प्रधानमन्त्री की अपनी प्रतिष्ठा दाव पर लग गयी है। गुजरात में प्रधानमन्त्री ने जिस तरह से वहां की जनता के सामने यह रखा कि विपक्ष मेरी औकात को चुनौती दे रहा है उससे यह प्रमाणित होता है कि यह चुनाव प्रधानमन्त्री केन्द्रित हो गया है। गुजरात में जिस तरह से प्रधानमन्त्री और योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं में कुर्सियां खाली रहने के वीडियो सामने आ चुके हैं उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वहा भी स्थिति ज्यादा सुखद नहीं है। गुजरात को लेकर यह टिप्पणी हिमाचल के लिये एक स्पष्ट चेतावनी बन जाती है। क्योंकि भाजपा के लिये हिमाचल हारने के मायने बहुत गंभीर हो जाते हैं और कांग्रेस के अन्दर किसी भी तरह से तोड़फोड़ करने के अलावा और कोई विकल्प भाजपा के पास नहीं रह जाता है।

इस परिपेक्ष में यदि चुनाव घोषित होने से पहले के राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डाली जाये तो मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर के इन बयानों से कि कांग्रेस चुनाव लड़ने लायक ही नहीं बचेगी। भाजपा अपने आरोप पत्र को सीबीआई को भेज देगी। इन्हीं बयानों के बीच कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह का यह ट्वीट आया था कि सीबीआई का स्वागत है। उस समय कांग्रेस के कई नेताओं के नाम मीडिया में उछले थे कि यह लोग भाजपा में जा सकते हैं। पवन काजल और लखविंदर राणा तभी भाजपा में चले गए थे। उसके बाद हर्ष महाजन और मनकोटिया के जाने के कयास और पुख्ता होते जा रहे थे। यदि उस समय विधायक अनिरुद्ध सिंह ने सीधे मुख्यमन्त्री कार्यालय पर ही हमला न बोला होता तो स्थितियां उस समय भी बिगड़ने के कगार पर पहुंच चुकी थी।

लेकिन इसके बाद टिकट आवंटन पर जो स्थितियां दोनों दलों के भीतर उभरी उनमें यह भी चर्चा में आ गया है कि भाजपा ने कांग्रेस के कुछ कमजोर उम्मीदवारों की आर्थिक सहायता की है। कुछ स्थानों पर भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ ही कांग्रेसियों की मदद की गयी है। अभी जिस तरह से मीडिया के कुछ प्रमुख लोगों के साथ मुख्यमन्त्री की बैठक के होने की चर्चा है उसमें सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के अन्दर जीतने के बाद कैसे तोड़फोड़ को अंजाम दिया जा सकता है उसके लिए एक उपयुक्त पृष्ठभूमि तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। इस योजना के तहत कांग्रेस के अन्दर मुख्यमन्त्री पद के दावेदारों की लम्बी सूची जन चर्चा में डालने का प्रयास किया जायेगा। ताकि इस पद के दावेदारों की महत्वकांक्षाओं को इतना उभार दे दिया जाये कि स्थितियां मतभेदों से चलकर मनभेदों की स्थिति तक पहुंच जाये। कुछ लोगों के खिलाफ ई.डी.या आयकर की नौबत लाने के लिए पुराने आरोप पत्रों को खंगाला जा रहा है। चर्चा है कि हर्ष महाजन तोड़फोड़ का मास्टर प्लान तैयार करने की योजना पर लग गये हैं। भाजपा की यह योजना कितनी कारगर साबित होती है यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा। लेकिन इसका पूर्व आकलन कांग्रेस को भविष्य के प्रति सजग और सचेत रहने का एहसास अवश्य करवाता है। क्योंकि केन्द्रिय एजेंसियों के सहारे भाजपा कई राज्यों में सरकारें तोड़ने का प्रयास कर चुकी है।

आज यह चर्चा उठाना इसलिये प्रसांगिक हो जाती है कि पिछले दिनों कांग्रेस के कई नेता दिल्ली में केन्द्रिय नेताओं से मिलने आ चुके हैं। कई तो कुछ संभावित विधायकों को लेकर दिल्ली यात्रा कर चुके हैं। दिल्ली जाने वाले सभी वरिष्ठ नेताओं को संभावित मुख्यमन्त्री का चेहरा करार दिया गया है। यही संभावना आपसी मतभेदों का आधार न बन जाये यह आशंका बराबर बनी हुई है। शायद इसी आशंका के चलते सोनिया गांधी ने कुछ नेताओं को मिलने का समय नहीं दिया है। बल्कि यह सामने आया है कि हाईकमान ने कुछ मानक तय किये हैं जो मुख्यमन्त्री होने के लिये कसौटी बनेंगे। यह सही है कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष और प्रचार कमेटी के चेयरमैन तक सभी नेता इसके पात्र हैं लेकिन फिर भी यह फैसला विधायकों की आम राय से ही होना चाहिए।

क्या किसानों को फिर आन्दोलन करना पड़ेगा

शिमला/शैल। संविधान दिवस के अवसर पर किसानों ने फिर सरकार के खिलाफ धरने देकर विरोध प्रदर्शन किया है और महामहिम राष्ट्रपति को प्रशासन के माध्यम से देश भर में ज्ञापन सौंपा है। इस विरोध और ज्ञापन के माध्यम से सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया है। स्मरणीय है कि जब केन्द्र सरकार ने कोविड काल में तीन कृषि कानून पारित किये और उन्हें लागू करने का प्रयास किया था तब इन कानूनों के खिलाफ देशभर में रोष फूट पड़ा था। कानून वापस लेने की मांग पूरे देश में उठ गयी थी। किसानों को आन्दोलन का रास्ता अपनाना पड़ा था। आजाद भारत का यह सबसे बड़ा आन्दोलन रहा है जो एक वर्ष से भी ज्यादा समय तक चला। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस आन्दोलन पर प्रतिक्रियाएं उभरी हैं। इस आन्दोलन को असफल बनाने के लिए सरकार किस हद तक चली गई थी आज इसे दोहराने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरे देश में वह सब कुछ देखा है। संसद से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक आन्दोलन की आहट पहुंची है।

इसी परिदृश्य में 9 दिसंबर 2021 को सरकार की ओर से संयुक्त किसान मोर्चा के नाम आये पत्र के आधार पर 11 दिसंबर 2021 को इस आंदोलन को रोक दिया गया। किसानों ने अपने धरने प्रदर्शन उठा लिये। सरकार ने किसानों की मांगे स्वीकार करने का लिखित आश्वासन दिया। लेकिन इस आश्वासन के बाद एक वर्ष से भी अधिक का समय बीत जाने पर भी मांगो की दिशा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। बल्कि सरकार की नीयत पर फिर से सन्देह के बादल छाने लगे हैं। सरकार की नीयत को भांपते हुये किसानों ने संविधान दिवस पर यह ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपा है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में सौंपे गये ज्ञापन को यथास्थिति पाठकों के सामने रखा जा रहा है।

संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) हि0प्र0

क्र0सं0 एस.के.एम./11/2022 दिनांक 26 नवंबर, 2022

'देश के राष्ट्रपति के नाम महामहिम राज्यपाल के मार्फत ज्ञापन'

प्रेषित
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू,
राष्ट्रपति, भारत गणराज्य,
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

मार्फत
माननीय राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश, सरकार
शिमला, हि0प्र0

विषयः केंद्र सरकार द्वारा किसानों से किए गए वादाखिलाफी के विरोध में, और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, संपूर्ण कज मुक्ति के समर्थन समेत अन्य मांगों पर ज्ञापन।

माननीय राष्ट्रपति महोदया,

आज, संविधान दिवस के अवसर पर, देश भर के किसान अपने–अपने राज्यों के राज्यपाल महोदय के माध्यम से आपको केंद्र सरकार दारा किसानों से किए गए वादे याद दिला रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, संयुक्त किसान मोर्चा ने 21 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार को लिखे पत्र में अपने 6 लंबित मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। इसके जवाब मे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री संजय अग्रवाल ने 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा के नाम एक पत्र (सचिव/एएफडब्ल्यू/2021/एम.आई.एस./1) लिखा। इस पत्र में उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार की ओर से आश्वासन दिया और आंदोलन को वापस लेने का आग्रह किया था। सरकार के इस पत्र पर भरोसा करके संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली की सीमा पर लगें मोर्चा और तमाम धरना प्रदर्शनों को 11 दिसंबर 2021 को उठा लेने का निर्णय किया था। आज दस महीने बाद भी केंद्र सरकार ने किसानों से किए गए वायदे पूरे नहीं किए हैं। हम आपसे एक बार पुनः अनुरोध करते है कि आप केन्द्र सरकार से लंबित मांगो को हल करने के लिए तुरंत ठोस कदम उठाने और किसानों की समस्याओं पर ध्यान देते हुए निम्नलिखित मांगो को पूरा करने का निर्देश द।

1. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सभी फसलों के लिए सी 2 पर 50 फीसदी के फार्मूले से एम.एस.पी. की गारंटी का कानून बनाया जाए। केन्द्र सरकार द्वारा एम.एस.पी. पर गठित समिति व उसका घोषित एजेंडा किसानों द्वारा प्रस्तुत मांगों के विपरीत है। इस समिति को रद्द कर, एम.एस.पी. पर सभी फसलों की कानूनी गारंटी के लिए, किसानों के उचित प्रतिनिधित्व के साथ, केंद्र सरकार के वादे के अनुसार एस.के.एम. के प्रतिनिधियों को शामिल कर, एम.एस.पी. पर एक नई समिति का पुनर्गठन किया जाए।

2. खेती में बढ़ रहे लागत के दाम और फसलों का लामकारी मूल्य नहीं मिलने के कारण 80 फीसदी से अधिक किसान भारी कर्ज में फंस गए हैं, और आत्महत्या करने को मजबूर हैं। ऐसे में, आपसे निवेदन है कि सभी किसानों के सभी प्रकार के कर्ज माफ किए जाएं।

3. बिजली संशोधन विधेयक–2022' को वापस लिया जाए। केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा को लिखे पत्र में यह लिखित आश्वासन दिया था कि, "मोर्चा से चर्चा होने के बाद ही यह बिल संसद में पेश किया जाएगा।" इसके बावजूद, केंद्र सरकार ने बिना कोई विमर्श के यह विधेयक संसद में पेश किया।

4. (i) लखीमपुर खीरी जिला के तिकोनिया में चार किसानों और एक पत्रकार की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टैनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए।

(ii) लखीमपुर खीरी हत्याकांड में जो निर्दोष किसान जेल में कैद हैं, उनको तुरन्त रिहा किया जाए और उनके ऊपर दर्ज फर्जी मामले तुरन्त वापस लिए जाएं। शहीद किसान परिवारों एवं घायल किसानों को मुआवजा देने का सरकार अपना वादा पूरा करे।

5. सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, फसल संबंधी बीमारी, आदि तमाम कारणों से होने वाले नुकसान की पूर्ति के लिए सरकार सभी फसलों के लिए व्यापक एवं प्रभावी फसल बीमा लागू करे।

6. सभी मध्यम, छोटे और सीमांत किसानों और कृषि श्रमिकों को 5,000 प्रति माह की किसान पेंशन की योजना लागू की जाए।

7. किसान आन्दोलन के दौरान भाजपा शासित प्रदेशों व अन्य राज्यों में किसानों के ऊपर जो फर्जी मुकदमे लादे गए हैं, उन्हें तुरंत वापस लिया जाए।

8. किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए सभी किसानों के परिवारों को मुआवजे का भुगतान और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, और शहीद किसानों के लिए सिंघु मोर्चा पर स्मारक बनाने के लिए भूमि का आवंटन किया जाए।

इस ज्ञापन के जरिए देश का अन्नदाता सरकार तक अपना गुस्सा प्रेषित करना चाहता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप केंद्र सरकार को उसके लिखित वादों की याद दिलाएं और देश के किसानों के संपूर्ण कर्ज मुक्ति, किसान बीमा, और किसान पेंशन की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करवाएं। हम आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह किसानों के धैर्य की परीक्षा लेना बंद करे। यदि सरकार अपने वादे और किसानों के प्रति जिम्मेदारी से मुकरना जारी रखती है तो किसानों के पास आंदोलन को और तेज करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचेगा।

प्रदेश स्तर के मुद्दे

इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में खेती–किसानी के मुद्दों को भी हम यहां पर रेखांकित कर रहे हैं जिन पर आप अपनी सिफारिशें भेजते हुए प्रदेश सरकार व केन्द्रिय सरकार के स्तर पर समाधान दने का प्रयास करें–

- **सेब को विशेष उत्पाद घोषित किया जाए तथा सेब पर आयात शुल्क को 100 फीसदी किया जाए तथा हिमाचल प्रदेश में भी कश्मीर की तर्ज पर मण्डी मध्यस्थता योजना (MIS) पूर्ण रूप से लागू करते हुए ए, बी व सी ग्रेड के सेब के लिए क्रमशः 60 रुपये, 44 रुपये व 24 रुपये प्रति किलो समर्थन मूल्य पर खरीद की जाये। इसके साथ काटन पर लगाए जी.एस.टी. को समाप्त किया जाए तथा सेब की ट्रै की कीमतों में की गई वृद्धि को वापिस लिया जाए। साथ ही आढ़तियों के पास बागवानों की लम्बित बकाया राशि के भुगतान को सुनिश्चित करवाया जाए।**
- **प्रदेश की प्रमुख फसलों सेब, मक्की, टमाटर, अदरख, लहसुन आदि पर नयुनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए, वातानाकूलित एवं नियत्रित भण्डारण की व्यवस्था की जाए तथा इन फसलों पर आधारित उद्योगों को स्थापित किया जाए।**
- **दूध का न्यूनतम मूल्य 40 रु0 घोषित किया जाए ताकि प्रदेश में पशुपालन व्यवसाय से जुड़े किसान अपनी आजीविका चला सकें। साथ ही 'लंपी चर्म रोग' को महामारी घोषित करते हुए पशुपालकों को राहत प्रदान की जाए।**
- **बन्दरों, जगली सूअरों व अन्य जंगली जानवरों की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए तथा आवारा–नकारा पशुओं की समस्या के लिए ठोस प्रबंध किया जाए।**
- **मनरेगा के तहत सभी स्थानीय एवं प्रवासी मजदूरों को कम से कम 200 दिनों का काम व कम से कम 600 रुपये दिहाड़ी दी जाए।**
- **भूमि अधिग्रहण अधिनियम–2013 (पुनर्स्थापना, पुनर्वास व चार गुना मुआवजा) के सभी प्रावधानों को हिमाचल सरकार लागू करे तथा प्रदेश में फोरलेन, सड़कों व अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीन के लिए किसानों को फेक्टर दो के तहत मुआवजा दिया जाए।**
- **सार्वजनिक सवाओं को मजबूत करते हुए सार्वजनिक सस्थानों विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी आदि विभागों में भारी मात्रा में खाली पड़े पदों को शीघ्र भरा जाए।**

हिमाचल किसान सभा आपसे व आपकी सरकार से अपील करती है कि इन उपरोक्त मांगों पर गौर करते हुए देश एवं प्रदेश हित में कृषि क्षेत्र व किसानों को बचाने में अहम भूमिका निभाने की कृपा करें।

जय किसान! जय हिंद!, 'हम, भारत के लोग, देश के अन्नदाता'।

(डॉ. कुलदीप सिंह तंवर) राज्याध्यक्ष
(होत्तम सौंखला) राज्य महासचिव, हिमाचल किसान सभा
(सत्यवान पुण्डीर) राज्य वित्तसचिव
(संजय चौहान) सह–संयोजक, संयुक्त किसान मंच, हि.प्र.
(सोहन ठाकुर) अध्यक्ष, सेब उत्पादक संघ

हिमाचल किसान सभा (HKS), सेब उत्पादक संघ तथा संयुक्त किसान मंच, हि.प्र.